अजमेर में जेल कार्मिकों की मिलीभगत से अन्य बंदियों से अवैध वसूली करने के मामले में कार्रवाई

चार जेलकर्मी एवं तीन दलाल गिरफ्तार, प्रतिबंधित वस्तुएं, दस्तावेजी साक्ष्य एवं छह अवैध मोबाइल जब्त

जयपुर, 19 जुलाई 2019 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को अजमेर केंद्रीय कारागृह में सजायाफ्ता बंदियों के जेल अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से अन्य बंदियों को प्रताड़ित कर सुविधाएं प्रदान करने के नाम अवैध राशि वसूलने के मामले में कार्रवाई की। एसीबी ने प्रतिबंधित वस्तुएं, अन्य दस्तावेजी साक्ष्य एवं छह अवैध मोबाइल जब्त कर चार जेलकर्मियों और तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है।

एसीबी के महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय पर पंजीबद्ध प्रकरण संख्या 201/2019 धारा 7, 7ए, 8, 11, 12 पीसी एक्ट (संशोधित 2018) तथा धारा 384, 465, 467, 471, 477ए सहपठित धारा 120 बी आईपीसी में दर्ज था। केंद्रीय कारागृह में सजायाफ्ता बंदियों की ओर से जेल अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से अन्य बंदियों को प्रताड़ना देकर एवं सुविधाएं प्रदान करने देने के बदले अवैध राशि वसूल की जा रही है। इस राशि को जेल कर्मियों के साथ रिश्वत राशि के रूप में साझा कर भ्रष्ट कृत्यों को अभ्यस्त अंजाम दे रहे हैं। इस सूचना पर ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव प्रचार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सीपी शर्मा, मदन दान सिंह, श्री सौभाग्य सिंह, श्री बृजराज सिंह, श्री विजय सिंह, श्री

आलोक शर्मा एवं पुलिस उपाधीक्षक श्री महिपाल की टीम ने कार्रवाई की।

श्री त्रिपाठी ने बताया कि वसूली करने वाले प्राइवेट व्यक्ति सागर, पोलू तथा वर्तमान में पैरोल पर चल रहे दीपक उर्फ सनी को उसके निवास लोंगिया मोहल्ला अजमेर से दबिश देकर निरूद्ध किया गया। साथ ही भ्रष्ट आचरण में संलिप्त जेलकर्मी संजयसिंह, केसा राम, प्रधान बाना को अजमेर से तथा अरूण सिंह चैहान को जयपुर से निरूद्ध किया गया। दीपक उर्फ सनी के लोंगिया मोहल्ला स्थित निवास पर एक टीम द्वारा तलाशी ली गई। एक अन्य टीम ने जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अजमेर में प्रशिक्षणाधीन जेलकर्मी श्री केसा राम व संजय सिह के सामान की तलाशी ली।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय कारागार में प्रतिबंधित सामग्री, अवैध मोबाइल एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना पर तलाशी कार्रवाई की गई जिसमें जेल मैनुअल के अनुसार प्रतिबंधित वस्तुएं व प्रकरण में बतौर वजह सबूत प्राप्त अन्य दस्तावेजी साक्ष्य एवं 6 अवैध मोबाइल आदि जब्त किए गए। प्रकरण में अब तक अनुसंधान से जेल प्रहरी श्री प्रधान बाना, श्री संजय सिंह एवं वसूली करने वाले प्राइवेट व्यक्ति सागर, पोलू तथा वर्तमान में पैरोल पर चल रहे दीपक उर्फ सनी को बाद में पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया। इन्हें पुलिस हिरासत के लिए न्यायालय में पेश कर प्रकरण में अन्य अभियुक्तों व जेलकर्मियो की संलिप्तता के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाएगा।